न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—452 / 2019 / 225 (2019 / 00452)

1. रामदयाल पुत्र जग्गा, जाति कुमावत, निवासी ग्राम नयागांव कुमावतों का, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामपाल पुत्र जग्गा, जाति कुमावत, निवासी ग्राम नयागांव कुमावतों का, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 11.9.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 157 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री गिरीश शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 11.9.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी / रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम नयागांव की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 241 पुराना 233 नया में दर्ज आराजी खसरा नंबर 391 रकबा 0.23 है0 चाही—1, खसरा नंबर 392रकबा 0.23 है0 किस्म चाही—1 पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है । खसरा नंबर 392 में पहुच के प्रयोजन से खसरा नंबर 391 में से नया मार्ग खुलवाये जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 11.9.2019 द्वारा प्रार्थी / रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 391 रकबा 0.23 है0 में से 10 फुट चौड़ा व 200 फुट लंबा सार्वजनिक रास्ता के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर ध्यान नहीं दिया कि उपरोक्त पत्रावली अपीलांट की तामीली बाबत् दिनांक 2.8.2017 को

आदेश प्रदान किये थे तथा दिनांक 14.8.2017 को पत्रावली इंतजार ए0डी0 रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 16.10.2017 को नियत की गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.10.2017 को बिना तामील की रिपोर्ट आये ही अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 6.1.2018 को मौका रिपोर्ट तलब किए जाने पर रिपोर्ट दिनांक 6.1.2018 एवं दिनांक 15.5.2018 में पटवारी द्वारा यह अंकन किया था कि खसरा नंबर 391 व 392 से संबंधित अपीलांट एवं रेस्पो0 के मध्य बंटवारे का वाद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष विचाराधीन है तत्पश्चात् दिनांक 28.2.2019 को मौका रिपोर्ट जो पटवारी द्वारा तैयार की गई थी को आधार मानते हुए रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है क्योंकि उक्त मौका रिपोर्ट तहसीलदार अथवा आई0एल0आर0 द्वारा बनाई जानी चाहिये थी जो कि उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत है । विवादित आराजी अपीलांट की खोतेदारी काश्तकारी की आराजी है जिसमें से रास्ता के आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से अनिवार्य था । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को निर्णय की दिनांक को नहीं हो सकी थी । दिनांक 15.11.2019 को तहसीलदार, केकड़ी से उक्त प्रकरण में निर्धारित मुआवजा राशि प्राप्त करने बाबत् नोटिस प्राप्त होने पर जानकारी हुई जिस पर अपने अभिभाषक से केकड़ी जाकर संपर्क करने पर उनके द्वारा प्रकरण की छानबीन करते हुए दिनांक 22.11.2019 को नकल प्राप्त होने पर फीस की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधि0 के प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे झूंठे एवं मिथ्या कथन है । प्रार्थना पत्र धारा 5 के पैरा संख्या 2 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 का पेश कर खातेदारी खेत खसरा नंबर 392 में जाने हेतु रास्ता मांगा था । प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये थे । नोटिस तामील होने के बावजूद अप्रार्थी/अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रहे जिस कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 23.10.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही की थी । एकपक्षीय कार्यवाही होने के बाद अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से धारा 251–ए के प्रार्थना पत्र बाबत् मौका रिपोर्ट तलब की थी । मौका दिनांक 28.2.2019 को बनाते समय अपीलांट व रेस्पो0 मौके पर उपस्थित थे । हल्का पटवारी ने अपीलांट खातेदार रामदयाल पुत्र जग्गा कौम कुमावत से प्रकरण संख्या 157/17 की जानकारी चाही तो खातदोर रामदयाल ने बताया कि मैंने मेरे खेत में से अप्रार्थी रामपाल पुत्र जग्गा के खसरा ंनबर 392 में जाने हेतु रास्ता छोड़ रखा है तथा मैंने कभी भी आवागमन हेतु मना नहीं किया है परन्तु उक्त छोड़े गये रास्ते को राजस्व

रिकार्ड में दर्ज करने पर आपत्ति दर्ज की व उक्त रिपोर्ट दिनांक 28.2. 2019 पर अपीलांट व रेस्पो0 दोनों की अंगूठा निशानी है जो मौका रिपोर्ट की पुस्त पर लगे अंगूठा निशानी से स्वंय सिद्ध है । इस प्रकार रेस्पो0 द्वारा धारा 251–ए के प्रार्थना पत्र की अपीलांट को प्रारंभ से ही जानकारी थी इसके बावजूद मिथ्या कथनों के आधार पर सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.11.2019 को होना बताकर मनगढ़त व झूंठे कथनों के आधार पर जानबूझकर मियाद बाहर अपील पेश की है । अतः मियाद बाहर होने से खारिज की जावे । अपने कथनों के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0बी0जे0 2018 पेज 356, आर0बी0जे0 2019 (26) पेज 658 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट को जारी किये गये नोटिस स्वंय अपीलांट को तामील होने के बावजूद अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रहे इसी कारण अधी0न्याया0 द्वारा विधिसम्मत् रूप से अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है । अपीलांट एवं रेस्पो0 एक ही परिवार के होकर सगे भाई है । रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद बाबत् घोषणा व बंटवारा का पेश किया था । उक्त दावे में अपीलांट व रेस्पो0 ने आपसी राजीनामा कर खसरा नंबर 392 में जाने के रास्ते सहित राजीनामा किया गया था । खसरा नंबर 392 में आने जाने वाली भूमि बाबत् अपीलांट ने दावे पेश राजीनामे मे सहमति दी थी उसके बदले अपीलांट को अन्य खसरा नंबर में ज्यादा भूमि दी गई थी । अपीलांट आपसी राजीनामे में खसरा नंबर 391 की भूमि अपने बंटवारे में रखे जाने बाबत् सहमत हुआ था जो रोड़ पर लगता हुआ है । अपीलांट व रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष आपसी राजीनामे से हुई डिक्री में सहमति दी थी कि खसरा नंब 392 खसरा ंनबर रेस्पो0 के खाते में व 391 अपीलांट के खाते में दर्ज रहेगा तथा खसरा नंबर 392 में जाने के लिए खसरा नंबर 391 में मौके पर रास्ता चालू है व लोहे की फाटक लगी हुई है जिसको दोनों पक्ष यथास्थिति बनाये रखने पर सहमति दी थी । उसी अनुसार अधी0न्याया0 ने आपसी राजीनामे के आधार पर डिक्री पारित की थी । उक्त डिक्री आज दिनांक प्रभावी है । रेस्पो0 के खसरा नंबर 392 में आवागमन हेतु अधी0न्याया0 की डिक्री अनुसार खसरा ंनबर 391 में रास्ते बाबत् पारित आदेश के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । अधी0न्याया0 ने इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 391 रकबा 0.23 है0 चाही–1 एवं खसरा नंबर 392 रकबा0.23 है0 चाही–1 पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है । खसरा नंबर 392 में पहुंच के प्रयोजन से खसरा

नंबर 391 में से नया मार्ग खुलवाया जाने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थी/अपीलांट अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनकर आदेश दिनांक 11.9.2019 को प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 391 रकबा 0.23 है0 में से होकर खसरा नंबर 392 में आने जाने हेतु 10 फुट चौड़ा 200 फुट लंबा क्षेत्र सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये ।

10. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अन्य आराजियात के साथ–साथ विवादित आराजियात अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पो0 संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर पटवारी हल्का, नयागांव द्वारा दिनांक 6.1.2018 को मौका पर्चा तैयार कर भिजवाया गया जिसमें यह अंकित किया है कि खसरा नंबर 391 रकबा 0.23 है0 पर वर्तमान में रामदयाल पि0 जग्गा का कब्जा है तथा खसरा नंर 392 परकबा 0.23 है0 पर रामपाल पि0 जग्गा का कब्जा है । वादी खसरा नंबर 392 में जाने हेतु खसरा नंबर 391 में चार मीटर चौड़ा रास्ता चाहता है । खसरा नंबर 391 व 392 वादी व प्रतिवादी की सहखातेदारी में है । उक्त सहखातेदारी के संबंध में बंटवार बाबत् वाद उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में मुकदमा संख्या 40/17 चल रहा है । तहसीलदार, केकड़ी द्वारा प्रेषित उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 6.1.2018 अपूर्ण होने से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर तहसीलदार ने पटवारी हल्का, नयागांव से नवीन मौका रिपोर्ट दिनांक 28.2.2019 तैयार करवा कर अधी0न्याया0 को प्रेषित की है । उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 28.2.2019 में पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि ''नया गांव के खसरा नंबर 391 पर पहुंचा । मौके पर खातेदार रामदयाल पुत्र जग्गा उपस्थित मिला । मौके पर खातेदार से मु0 नं0 157/2017 रास्ते बाबत् जानकारी चाही गई । खातेदार ने बताया कि मैने मेरे खेत में से परिवादी रामपाल के खसरा नंबर 392 में जाने हेतु रास्ता छोड़ रखा है तथा मैने कभी भी आवागमन हेतु मना नहीं किया है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे उक्त चालू रास्ते को दर्ज करने पर मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर ग्राम के अन्य व्यक्ति भी उक्त रास्ते का उपयोग कर हमारी फसलों को नुकसान करेंगे जिससे मुझ खातेदार को आये दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा । मौके पर उक्त रास्ता खाली छोड़ा गया है । मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । '' अधी0न्याया0 ने मौका रिपोर्ट दिनांक 28.2.2019 के आधार पर अपीलाधीन रास्ते के आदेश पारित किये है जबकि पटवारी हल्का द्वारा अपनी पूर्व मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि खसरा नंबर 391 व 392 पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है जिसके संबंध में पक्षकारान के मध्य बंटवारे का वाद विचाराधीन है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ककड़ी द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2017 उनवान रामपाल बनाम रामदयाल का अवलोकन किया गया । उक्त बंटवारे का वाद वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा धारा 88, 53, 188, 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है । वाद वर्णित आराजियात का मौके पर विभाजन नहीं हो रखा है परन्तु आपसी सहमति के अनुसार आराजियात अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे है । वादवर्णित आराजियात का पैरा संख्या 1 में वर्णित के अनुसार प्रत्येक खसरा नंबर की आराजियात का मौके पर बंटवारा किया जाकर उसी हिस्से अनुसार अलग–अलग

मौके पर नाप कर संभलाया जाकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड में 1/2, 1/2 दर्ज किया जावे । वाद वर्णित आराजियात में खसरा नंबर 391 व 392 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त में है जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें आने जाने के लिए लोह की फाटक लगी हुई है जो वा वर्णित आराजियात के खसरा नंबर 391 व 392 में आने जाने हेतु कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु निवेदन किया । उक्त वाद में अधी0न्याया0 के समक्ष वादी व प्रतिवादी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अधी0न्याया0 ने आपसी राजीनामा अनुसार बंटवारा का वाद स्वीकार कर तहसीलदार को राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वाद में अभी बटवारे की अंतिम डिक्री पारित नही की गई है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का नयागांव की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.2.2019 के आधार पर पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि रास्ते के संबंध में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 की पालना नहीं कर केवल मात्र पैरोकार सरकार एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बने नियम के नियम 69 के तहत रास्ते के प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भू–अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर ही निर्णित किये जा सकते है। अधी0न्याया0 ने धारा 251–क के नियम 69 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् अपीलाधीन आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

11. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

12. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.9.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित रास्ते के संबधं में धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के परिप्रेक्ष्य में स्वंय तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों की मौजूदगी में तैयार तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर